

249/2023

07/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीनी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 से 8 व 9/3,9/8/1 से 9/8/4 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है, ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन पत्र आगे चल नहीं सकता है। लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.8.2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीनी का आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

07/03/24

सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.) बालोतरा

